



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

11 वारण्टी गिरफ्तार

जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के आदेश के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में दिनांक 03.02.2021 को विभिन्न थानों द्वारा कुल 11 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार वारण्टीगण को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

- थाना अटरिया द्वारा 03 वारंटी गिरफ्तार-** थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 188/97 धारा 458/380 भादवि से संबंधित वाद संख्या 1875/20 में वारंटी 1.अवधेश सिंह पुत्र धनंजय सिंह 2. चन्द्रशेखर सिंह पुत्र मृत्युंजय सिंह निवासीगण दक्खिनगांव थाना अटरिया जनपद सीतापुर 3. सुरमुनि चीड़ीमार पुत्र वीपति निवासी रायपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।
- थाना सदरपुर द्वारा 01 वारंटी गिरफ्तार-** थाना स्थानीय से संबंधित मु0अ0सं0 43/08 धारा 457/380/411 भादवि में वारंटी नरेश उर्फ रामनरेश पुत्र पांचू उर्फ प्रभू नि0 जहांगीराबाद को गिरफ्तार किया गया।
- थाना बिसवां द्वारा 02 वारंटी गिरफ्तार-** थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 38/13 धारा 323/504 भादवि में वारंटी 1.तलमीर पुत्र नब्बू उम्र 35 वर्ष निवासी महिमापुर थाना बिसवां सीतापुर 2. इशरत अली पुत्र नब्बू निवासी महिमापुर थाना बिसवां जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।
- थाना कोतवाली देहात द्वारा 01 वारंटी गिरफ्तार-** थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 1103/91 धारा 379 भादवि के वाद संख्या 31/16 में वारंटी रामस्वरूप पुत्र भागवानी नि0 शाहमहोली थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।
- थाना महोली द्वारा 01 वारंटी गिरफ्तार-** थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 231/18 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में वारंटी अंकित मिश्रा पुत्र मनोज मिश्रा नि0

चव्वाबेगपुर थाना महोली जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

6. थाना इमलिया सुल्तानपुर द्वारा 02 वारंटी गिरफ्तार- मा0 न्यायालय में प्रचलित वाद में वारंटी 1.दयाराम पुत्र रामचरन नि0 तेंदुबार 2.शारदा पुत्र छोडन नि0 कपूरपुर थाना इ0सु0पुर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।
7. थाना रेउसा द्वारा 01 वारंटी गिरफ्तार- थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 69/98 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के वाद संख्या 466/13 में वारंटी सुरेश पुत्र ललतू यादव नि0 हरिहरपुर थाना रेउसा जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।